



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

**SITTING NOTICE**

File No NCST/SER-2360/MHRD/25/2025-RU-IV

Dated:- 23.03.2026

सेवा मे,

श्री राजेश लखानी,  
आयुक्त,  
नवोदय विद्यालय समिति,  
बी-15, संस्थागत क्षेत्र,  
सेक्टर 62, नोएडा,  
उत्तर प्रदेश 201307  
Email: commissioner.nvs@gov.in

विषय: मानसिक रूप से प्रताड़ित करने तथा जवाहर नवोदय विद्यालय, हनुमानगढ़, राजस्थान में नियुक्ति देने के संबंध में - श्री मुकेश कुमार मीना, पी.जी.टी (गणित), जे.एन.वी., पल्लु, हनुमानगढ़, राजस्थान का मेल/अभ्यावेदन।

संदर्भ: नवोदय विद्यालय समिति नोएडा, उत्तर प्रदेश का पत्र सं 20-3(37)/नविस (वि प्र)/57 दिनांक 05.02.2026

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकडा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, कोर्ट रूम, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **01.04.2026 को 16:10 Hrs** बजे सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप** से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

यो. प्र. यादव/Y. P. Yadav)  
निदेशक /Director

Telephone No. : 011-24615012

E-mail: ru4-hq@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री मुकेश कुमार मीना,  
पी.जी.टी (गणित)  
जे.एन.वी., पल्लु,  
हनुमानगढ़, राजस्थान - 335512.  
Mobile No:9664419992

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)  
NIC for uploading